न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 04/2011 **दायर दिनांकः 17/01/2011**

उनवान

1. मांगीबाई आयु 45 वर्ष पुत्री पन्नालाल पत्नी दुर्गालाल जाति काछी निवासी कुण्डी हाल निवासी कछावन तहसील छबड़ा जिला बारां राज0।

वादिनी

बनाम

1. बादामबाई पुत्री पन्नालाल आयु 42 वर्ष पत्नी चोथमल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

आदेश दिनाकः 24/02/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम व माल कुण्डी तहसील अटरू में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 के अनुसार खाता संख्या 279 की ख0नं0 508 रकबा 0.37 है0, भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता पन्ना पुत्र माधो जाति काछी के खाते दर्ज चली आ रही थी। वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 दोनो सगी बहिनें है तथा पन्ना लाल जी की संताने है। वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता पन्ना लाल जी का स्वर्गवास दिनांक 18.12.2010 को ग्राम कुण्डी में लगे शिविर में पन्नालाल के स्थान पर वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का नामान्तरण दर्ज करने के लिये निवेदन किया गया था लेकिन पटवारी हल्का ने प्रतिवादी क्रम 1 से षडयन्त्र रचकर मृतक पन्नालाल के स्थान पर वादिनी का नाम वारिस एवं विधिक प्रतिनिधि होते हुये भी दर्ज नही किया तथा प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में इन्तकाल नं0 864 दिनांक 13.12.2010 को दर्ज कर दिया। पटवारी हल्का ने प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में

अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया है। जो निम्न आधार पर अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित किये जाने योग्य हैः–

1. पटवारी हल्का द्वारा वसीयत की जांच किये बगैर इंतकाल दर्ज किया है।
2. वसीयत का निष्पादनकर्ता वृद्ध था तथा कानो से कम सुनाई देता था व आंखों से कम दिखाई देता था। निष्पादनकर्ता ने वसीयत को अपने कथनानुसार टाईप नही करवाया था। टंकणकर्ता के वसीयत नामें पर नाम अंकित नही है।
3. पटवारी हल्का ने वसीयत के आधार पर बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के नामान्तरण दर्ज किया है।
4. प्रतिवादी क्रम 1 ने पन्नालाल की मृत्यु दिनांक 18.12.2009 को हो जाने के पश्चात से दिनांक 13.12.2010 तक वसीयत के बारे में कभी समाज व गांव को नही बताया।
5. वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नही किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा फर्जी वसीयत तैयार कर अपने पक्ष में नामान्तरण दर्ज करवाया है जो अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित होने योग्य है।

हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादिनी मृतक पन्नालाल के विधिक वारिसान होने से मृतक पन्नालाल के स्थान पर 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज होने की अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में खोले गये इंतकाल नं0 864 दिनांक 13.12.2010 को वादिनी के हिस्से 1/2 तक अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने की अधिकारणी है। वादिनी अपने हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा कब्जा प्राप्त करने की अधिकारणी है। प्रतिवादी क्रम 1 वादिनी को अपने अधिकारों से वंचित करने की गरज से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं रहन बैचान करने पर आमादा है। इसलिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद श्रीमान की सेवा में पेश है। यदि नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैध कृत्य में सफल हो जावेगें जिससे वादिनी को अनेकानेक विवादों में उलझना पड़ेगा। प्रतिवादी क्रम 2 राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से उसे राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार अटरू को पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 13.12.2000 को प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष मे इंतकाल नामान्तरण दर्ज कर दिये जाने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कुण्डी में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को क्षैत्राधिकार व

श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादिनी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादिनी के हिस्से तक इंतकाल नं0 864 दिनांक 13.12.2010 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादिनी के हिस्सेनुसार बंटवारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावें।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि को कहीं रहन व बेचान नही करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादिनी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 बहिनें होना व पिता का स्वर्गवास होना स्वीकार है शेष विवरण अस्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नं0 864 सही दर्ज किया गया है। वाद पत्र की मद नं0 3 का विवरण अस्वीकार है। एवं मद नं0 3 की उप मद नं0 1 लगायत 5 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 का विवरण गलत लिखा होने से अस्वीकार है। वादिया अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी नही है। वाद पत्र की मद नं0 5 का विवरण गलत लिखा होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद न0 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है। अनुतोष वादिया अ, ब, स अस्वीकार है।

–::विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र::–

वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता पन्नालाल के कोई पुत्र नही था इसलिए सदैव से प्रतिवादी क्रम 1 के पास रहे तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पिता पन्नालाल की सेवा सुश्रषा की लगभग 20 वर्षो तक प्रतिवादिया ने पिता की सेवा की जिससे प्रसन्न होकर पिता पन्नालाल ने अपने जीवन काल में गांव के मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष वसीयत लिखी थी जो पूर्ण होश हवास में की थी पिता की मृत्यु के पश्चात् उनका अन्तिम संस्कार एवं किया कर्म भी प्रतिवादिया एवं उसके पति द्वारा किया गया था। वादिया पिता के जीवन काल में कभी भी न तो मिलने आई न ही काई सेवा की अब पिता की मृत्यु के पश्चात जमीन लेने के लिए वाद पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नं0 864 दिनांक 13.12.2010 पूरी जांच पड़ताल करके गांव वालों से पूछताछ करके खोला गया है जो वैध एवं कानून सम्मत है। जिसे चेलेन्ज करने का वादिया को कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादिया क्रम 1 वादिया को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी है। कि वह प्रतिवादी क्रम 1 को उसके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें। इस हेतु यह प्रतिवाद पेश किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिया का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादिया क्रम 1 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादिया को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी क्रम 1 को उसके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र का चरण संख्या 1 जिस प्रकार से लिखा गया है उस रूप में स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण सं0 2 अस्वीकार है। नामान्तरण सं0 864 शिविर प्रशासन गांव की ओर अभियान में मजमें आम में बाद जांच ग्रामवासियों द्वारा बताए गये तथ्य तथा मृतक खातेदार द्वार की गई अपनी अंतिम इच्छा पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार ही नामान्तरण सं0 864 ग्राम कुण्डी में दर्ज किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.12.2010 को जारी आदेश की पालना में नामान्तरण दर्ज किया गया है। वाद पत्र का चरण सं0 3 अस्वीकार है। पटवारी हल्का द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने में कोई भूल नहीं की गई है।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी सर्कुलर की पालना में अनरजिस्टर्ड वसीयत पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के अधिकार है। सर्कुलर की प्रति बहस पेश कर दी जावेगी।

1. पटवार हल्का द्वारा आदेश की पालना में इंतकाल दर्ज किया गया है। आदेश पारित करने के पूर्व मजमें आम में उपस्थित शिविर प्रभारी अधिकारी महोदय श्रीमान तहसीलदार सा0 सरपंच सा0 ग्राम पंचायत कुण्डी की उपस्थिति में जांच की जा चुकी है।
2. वसीयत पत्र का न तो पंजीयन कराया जाना आवश्यक है तथा नहीं उसे टंकण कराया जाना आवश्यक है।
3. पटवारी हल्का द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश पर ही नामान्तरण दर्ज किया गया है।
4. प्रतिवादी क्रम 1 ने पन्नालाल की मृत्यु दिनांक 18.12.2009 को हो जाने के दिनांक 13.12. 2010 तक वादी की बहिन बादाम बाई से उसके घर पर जाकर कोई सूचना प्राप्त नही की गई ऐसे तथ्य भी शिविर में सामने आएं।
5. पेरा नं 3 (5) अस्वीकार है।
6. यह चरण अस्वीकार है।
7. यह चरण अस्वीकार है।
8. चरण का संबंध माननीय न्यायालय से है।
9. चरण अस्वीकार है।
10. चरण अस्वीकार है।

—::**जवाब उल जवाब**::—

वादिया द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की द नं0 2 में वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता पन्नालाल जी का स्वर्गवास दिनांक 18.12.2009 को होना तथा दिनांक 13.12.2010 को ग्राम कुण्डी में लगे शिविर मे वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में इंतकाल के लिये निवेदन करने वाल तथ्य गलत रूप से अस्वीकार किये है। तथा इंतकाल नं0 864 गलत दर्ज किया है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 मे वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नही है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नही है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं0 5 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नही है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी होना स्वीकार है। जवाब दावा

मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नही है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी होने से स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी होना स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 10 मे वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नही है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 11 मे वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नही है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष विवरण की मद नं0 1 में वर्णित तथ्य वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता पन्नालाल के कोई पुत्र नही होना स्वीकार है। शेष विवरण गलत लिखा होने से स्वीकार नही है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं0 2 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नही है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं0 3 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना प्रतिवादी स्वीकार नही है।

—::**विशेष कथन**::—

प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 में प्रतिवादी क्रम 1 ने अंकित किया है कि पन्नालाल ने अपने जीवनकाल में गांव में मोतबीरान व्यक्तियों के समक्ष वसीयत लिखी थी। जबकि वसीयत टाईपशुदा है। हाथ की लिखी हुई नही है। वसीयत अनरजिस्टर्ड है। इकरार नामे के स्टाम्प पर प्रतिवादी क्रम 1 ने सम्पत्ति को हडपने की गरज से स्वयं द्वारा इकरार नामें के स्टाम्प पर वसीयत टाईप करवाकर फर्जी निशानी अंगॅूठा लगाकर इंतकाल खुलवाया है जो निरस्त होने योग्य है। बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किये पटवारी हल्का को अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इंतकाल खोलने का अधिकार नही होते हुये भी पटवारी हल्का ने षडयन्त्र रचकर मिलीभगत करके इंतकाल खोला है। जो निरस्त होने योग्य है।

अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जाकर वादी का वाद स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः—

1. **तनकी संख्या 1:—** आया वादनी वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित भूमि में प्रतिवादनी के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं0 864 दिनांक 13.12.2010 की वाद पत्र की मद नं0 3 के अनुसार अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाकर वादिया 1/2 हिस्से की खातेदार कृषक घोषित होकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारी है। **वादिनी**

2. **<u>तनकी संख्या 2</u>ः–** आया जवाब दावे एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 का वाद पर क्या प्रभाव है।

प्रतिवादनी

3. दादरसी।

साक्ष्यवादी के तहत गवाह PW-1 व 2 का शपथ पत्र पेश किया रिकार्ड प्रदर्शित किया तथा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा जिरह की साक्ष्य प्रतिवादी के तहत PW-1 व 2 का शपथ पत्र पेश किया तथा अभिभाषक वादी द्वारा जिरह की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषकगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि इन्तकाल नं0 864 दिनांक 13.12.2010 को अवैध शून्य घोषित कर अच्छी में से अच्छी व बुरी अनुसार वादियों को 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावें को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीया क्रम 1 के कोई पुत्र नही था व हमेशा प्रतिवादिया के पास रहते थे सेवा सुश्रषा से प्रसन्न होकर अपने जीवन काल में पिता पन्नालाल द्वारा गांव के लोगों के समक्ष वसियत लिखी थी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त कियाक्रम व अन्य कार्य प्रतिवादिया के पति द्वारा किया गया था तथा इन्तकाल भी मजमें आम केम्प में खोला गया है। वादिया अपने पिता के जीवन काल में जमीन लेने बाबत् कोई वाद पेश नही किया और न ही मिलने आई प्रतिवादी क्रम 1 का जवाब दावा मय प्रतिवाद स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया जावें। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता हैः–

1. **तनकी नं0 1**ः– आया वादनी वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित भूमि में प्रतिवादनी के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं0 864 दिनांक 13.12.2010 की वाद पत्र की मद नं0 3 के अनुसार अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाकर वादिया 1/2 हिस्से की खातेदार कृषक घोषित होकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था वादिया द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 के पक्ष मे खोले गये इन्तकाल नं0 864 दिनांक 13.12.2010 को प्रभाव शून्य किये जाने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नही किये गये वादिया द्वारा साक्ष्य जिरह के दौरान भी प्रतिवादिया पिता के पास रहती थी तथा मृत्यु उपरान्त भी प्रतिवादिया द्वारा कियाक्रम किये गये। मृत्यु उपरान्त भी वादिया अपने पिता के कियाक्रम में नही गई। अतः तनकी नं0 1 विरूद्ध वादिया निर्णित की जाती है।

2. **<u>तनकी संख्या 2</u>ः–** आया जवाब दावे एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 का वाद पर क्या प्रभाव है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादिया पर था प्रतिवादिया पिता पन्नालाल के पास रहती थी उनके कोई पुत्र नही था पिता पन्नालाल की सेवा सुश्रबा से प्रसन्न होकर जीवन काल में ही लिखी ग्राम वासियान के समक्ष वसीयत लिखी गई थी जिसका नामान्तकरण मजमें आम में जांच की जाकर केम्प के दौरान तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी का वाद पर प्रभाव है। इन्तकाल मजमेंआम केम्प के दौरान पूर्ण जांच कर खोला गया है। जिसका प्रकाशन सफलता की कहानिया प्रशासन गांव के संग अभियान 2010–11 में हुआ है। अतः तनकी नं0 2 प्रतिवादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>–ःक्रियात्मक आदेशः–</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 04/2011

उनवान

1. मांगीबाई आयु 45 वर्ष पुत्री पन्नालाल पत्नी दुर्गालाल जाति काछी निवासी कुण्डी हाल निवासी कछावन तहसील छबड़ा जिला बारां राज0।

वादिनी

बनाम

1. बादामबाई पुत्री पन्नालाल आयु 42 वर्ष पत्नी चोथमल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए 53 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः–   विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगणः–   विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद खारिज किया जाता है।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................

.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 12:59:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: